अति आवश्यक
रा0रा0मानव अधिकार आयोग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः— एफ 15( )14/श्रम/प्रमुवसं/5055-70 दिनांक 28.12.15

निमित,

मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर/जयपुर/कोटा/अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर।
मुख्य वन संरक्षक,
(वन्य जीव)जयपुर/कोटा/उदयपुर/भरतपुर/जोधपुर।
विभागीय कार्य जयपुर/एफपीआरपी जयपुर/आरवीपी कोटा/एवं
प्रावैधिक सहायक प्र.मु.व.सं. राज0 जयपुर।

विषयः—वर्कचार्ज कर्मचारियों के टी.ई. प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग में दर्ज परिवाद संख्या 13/10/1492 में आदेशिका दिनांक 12.10.15 के कम में वर्कचार्ज कर्मचारियों के टी ई प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा हेतु आयोग में दिनांक 09.12.15 को आयोजित बैठक में आयोग ने विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के बकाया टी ई के. समस्त प्रकरणों का निस्तारण दो माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए है। आयोग द्वारा टी ई प्रकरण के निस्तारण हेतु अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये यह कहा गया कि बकाया टी ई के प्रकरणों के निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही नहीं करने तथा शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्व आयोग द्वारा न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर कार्यवाही की जावेगी।

अतः बकाया टी ई प्रकरणों के निस्तारण में यदि राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किसी प्रकार का आक्षेप अंकित किया जाता है, तो उसे तत्काल दूर करते हुये प्रकरणों को पुनः राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को भिजवाये जाने हेतु अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया जावे तथा साथ ही बकाया टी ई के समस्त प्रकरणों को 2 माह में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से निस्तारित करवाया जाना सुनिश्चित करावे। उक्त कार्य के प्रबोधन हेतु आपके कार्यालय में पदस्थापित उप वन संरक्षक (प्रशासन)/प्रावैधिक सहायक को नोडल अधिकारी नियुक्त करे। नोडल अधिकारी आपके अधीनस्थ कार्यालयों/आहरण वितरण अधिकारियों से बकाया टी ई प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति रिपोर्ट माह में दो बार प्राप्त कर इस कार्यालय को संलग्न प्रपत्र में ई—मेल एड्रेस dcfll@yahoo.in पर भिजवायेगें। ताकि बकाया टी ई प्रकरणों की सूचना अथवा इनके निस्तारण में आ रही कठिनाई से वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता) एवं नोडल अधिकारी राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, बीमा भवन जयपुर को अवगत करवाया जा सके।

संलग्न उपरोक्त।

भवदीय,

(ए.के.सिंह)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
श्रम एवं विधि
राज.जयपुर

क्रमांकः— एफ 15( )14/श्रम/प्रमुवसं/5071-190 दिनांक 28.12.15

प्रतिलिपि समस्त उप वन संरक्षक/कार्य आयोजना अधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कम्प्यूटर अनुभाग को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(ए.के.सिंह)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
श्रम एवं विधि
राज.जयपुर

बकाया टी ई प्रकरणों के निरस्तारण के संबंध में सूचना

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक..................

क्रं. सं.	अहरण वितरण अधिकारी/अधीनस्थ कार्यालय का नाम	कार्य प्रभारित कर्मचारियों की संख्या	जारी टी.ई प्रकरणों की संख्या	शेष टी ई प्रकरणों की संख्या	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा आक्षेप लगाये जाने का पत्र क्रमांक एवं दिनांक	आक्षेप दूर कर पुनः राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को प्रकरण भिजवाये जाने का पत्र क्रमांक एवं दिनांक	टी ई जारी नहीं होने का कारण
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

नोटः— सेवा निवृत कर्मचारी का टी ई प्रकरण लम्बित हो तो उसका विस्तृत विवरण पृथक से देवें।